

सहकारी संस्थाओं के वर्ष 2020-21 के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की रजिस्ट्रार द्वारा मान्य सूची तैयार करने हेतु आवेदन पत्र को पूर्ण किये जाने हेतु दिशा-निर्देश

---

1. नवीन आवेदकों (वर्ष 2019-20 की अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं हैं) को पंजीयन शुल्क राशि रूपये 500/- शासकीय कोषालय की मद 0425-00-800-0000 सहकारिता, 800- अन्य प्राप्तियां में WWW.MPTREASURY.ORG अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा की जानी है।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही जमा किये जाने है।
3. आवेदक द्वारा यदि प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तो उसे जांच उपरान्त आवेदक श्रेणी से भिन्न श्रेणी अथवा अपात्र होने पर अपात्रता की श्रेणी में रखा जावेगा।
4. अंकेक्षण स्टाफ की जानकारी में जहां आर्टिकल की संख्या अपेक्षित है वहां केवल आर्टिकल ही सम्मिलित किये जावें। ऐसे आर्टिकल जिनकी आर्टिकलशिप पूर्ण हो चुकी है अथवा जिनके Document Verified नहीं है को स्टाफ की संख्या में सम्मिलित नहीं किया जावे।
5. निर्धारित मापदंडों में फर्म में अन्योन्य (Exclusive) पार्टनर की गणना में ऐसे पार्टनर को सम्मिलित नहीं किया जाना है जो कि किसी अन्य फर्म में पार्टनर के रूप में अथवा कर्मचारी के रूप में संबद्ध है और पार्टनर की स्वयं के नाम से अन्य कोई प्रोपराइटरी फर्म नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रोपराइटरी फर्म तथा Individual Practising F.C.A के आवेदक का भी अन्योन्य होना आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:-
  - दिनांक 01.04.2020 की स्थिति का भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी एफ.सी.सी. (Firm Constitution Certificate) प्रमाण पत्र। (01.04.2020 अथवा अद्यतन स्थिति का एफ.सी.सी. अपलोड नहीं कराये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। (दिनांक 01.04.2020 की स्थिति पर फर्म की पंजीयन दिनांक की गणना, शाखाओं के पंजीयन, पार्टनर की अर्हता की जांच की जानी है परन्तु सूची जारी करने की दिनांक पर यदि फर्म में कोई इस तरह का परिवर्तन आया है जिससे फर्म संबंधित श्रेणी के लिये पात्र नहीं है तो फर्म को अपात्रता की श्रेणी में अथवा संबंधित श्रेणी में रखा जावेगा)
  - चालान की प्रति(नवीन आवेदकों के लिये)
  - राष्ट्रीयकृत बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/म0प्र0 की शीर्ष सहकारी संस्थाएं, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं नागरिक सहकारी बैंक के अनुभव के लिये- पेआर्डर/आवंटन आदेश की प्रति। (सतत् अंकेक्षण तथा अन्य किसी अंकेक्षण की जानकारी अपलोड नहीं की जावे।)
  - दिनांक 01.04.2020 अथवा आवेदन दिनांक पर ICAI द्वारा जारी Member Card (फर्म के सभी पार्टनर एवं सनदी लेखापाल कर्मचारी को अपना मेम्बर कार्ड अपलोड करना अनिवार्य है। मेम्बर कार्ड में दी गयी जानकारी को स्टाफ की गणना के लिये उपयोग किया जाना है अतः अद्यतन स्थिति को मेम्बर कार्ड अपलोड करें।)
  - फर्म के फुलटाईम पार्टनर/सनदी लेखापाल सेवायुक्त/प्रोपराइटर/ प्दकपअपकनंस Individual Practising F.C.A के सीसा/डीसा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

- सभल फुलटाईम पार्टनर/सनदी लेखापाल सेवायुक्त/प्रोपराईटर/ Individual Practising F.C.A के जन्मतिथि के प्रमाण पत्र (VOTER ID/PAN CARD/LICENCE CARD/ SSC-HSC MARKSHEET)